अध्याय I

प्रत्यक्ष कर प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

1.1.1 भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करके लिए गए सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार को प्राप्त सभी धन शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व शामिल हैं। निम्नलिखित तालिका 1.1 वि.व. (वि.व.) 2013-14 के लिए संघ सरकार के संसाधनों का सारांश प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन	**(₹ करोड़ में)**
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	15,36,024
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*6,38,596*
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*5,00,400*
iii. सहायता अनुदान एवं अंशदान सहित गैर-कर प्राप्तियां	*3,97,028*
ख. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	27,553
ग. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	24,549
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	39,94,966
भारत सरकार की कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	**55,83,092**
टिप्पणी: कुल राजस्व प्राप्तियों में सीधे राज्यों को सौंपे गए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों का ₹ 3,18,230 करोड़ का हिस्सा शामिल है।	

1.1.2 वि.व. 2013-14 में संघ सरकार की कुल प्राप्तियां ₹ 55,83,092 करोड[1] थी। इन में से, इसकी स्वयं की प्राप्तियां ₹ 11,38,996 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों सहित ₹ 15,36,024 करोड़ थी।

1.2 प्रत्यक्ष करों का स्वरूप

1.2.1 संसद द्वारा उदग्रहीत प्रत्यक्ष करों में मुख्यत: शामिल हैं:

i. कम्पनियों की आय पर उदग्रहीत निगम कर;

ii. व्यक्तियों की आय पर उदग्रहीत आयकर (कम्पनियों को छोड़कर);

iii. अन्य प्रत्यक्ष करों में धनकर[2], प्रतिभूति लेनदेन कर[3] आदि शामिल है।

---

1 स्त्रोत: वित्तीय वर्ष 2013-14 के ड्राफ्ट संघ वित्त लेखे। प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ और अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ वित्तीय वर्ष 2013-14 के ड्राफ्ट संघ वित्त लेखों के आधार पर तैयार किए गये हैं।

2 निवल धन पर प्रभार्य कर में धनकर अधिनियम 1957 की धारा 2(ईए) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कुछ परिसम्पत्तियां शामिल हैं।

1.2.2 तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन का एक आशुचित्र उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.2: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
					₹ करोड़ में
1. प्रत्यक्ष कर संग्रहण	3,77,594	4,45,995	4,93,987	5,58,989	6,38,596
2.प्रतिदाय	57,101	75,169	93,814	83,766	89,060
3. प्रतिदाय पर ब्याज	6,876	10,499	6,486	6,666	6,598
					संख्या लाख में
4. प्रभावी निर्धारिती	340.9	335.8	363.5	373.8	470.3
5.पूर्ण हुए संवीक्षा निर्धारण	4.3	4.6	3.7	3.1	2.9
6. लम्बित संवीक्षा निर्धारण	4.4	3.9	4.1	2.9	4.2

स्रोत: क्रम 1-संघ वित्त लेखे, क्रम सं.2 प्र. सीसीए, सीबीडीटी और क्रम सं.3 से 6-डीजीआईटी (संभार तंत्र), सीबीडीटी

कर प्रशासन का विवरण परिशिष्ट 1 में दिया गया है।

1.3 सीबीडीटी के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1.3.1 वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (डीओआर) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। उसी प्रकार, यह आय कर विभाग (आईटीडी) के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। आय कर विभाग प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित मामलों के साथ साथ कर अपवंचन, राजस्व आसूचना, कर आधार बढाने, कर दाताओं को सेवाएं प्रदान करने, शिकायत निवारण तंत्र के मामलों से संबंधित मामलों को देखता है।

1.3.2 आयकर विभाग के आधिकारियों की संस्वीकृत तथा कार्यरत संख्या 31 मार्च 2014 को क्रमश: 75,098 तथा 42,069 हैं। मई 2013 में आयकर विभाग के संवर्ग की पुन: संरचना के बाद स्टाफ संख्या को 58,124 से संशोधित किया गया है। अधिकारियों[4] की संस्वीकृत और कार्यरत संख्या क्रमश: 10,869 और 7,543 है।

3 भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी गई और बेची गई कर योग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर कर। हालांकि, धारा 88ई के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2009-10 से किसी छूट की अनुमति नही है।

4 प्र.सीसीआईटी/डीजीआईटी, सीआईटी/डीजीआईटी, प्र. सीआईटी/डीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, अपर सीआईटी/डीआईटी, डीसीआईटी/ डीडीआईटी, एसीआईटी/एडीआईटी तथा आईटीओज़

1.4 प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग

1.4.1 बजट सरकार की दृष्टि एवं उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर राजस्व और अन्य राजस्व) और इन राजस्वों से किए गए व्यय शामिल हैं। बजट प्राक्कलनों की तदनुरूपी वास्तविक से तुलना राजकोषीय विवेक की गुणवत्ता का संकेतक है। वास्तविक अप्रत्याशित और यादृच्छ रूप से बाह्रय घटनाओं या प्रणालीगत अपर्याप्तताओं के कारण प्राक्कलन से भिन्न हो सकता है या कभी किसी महत्वपूर्ण पैरामीटर को कम प्रक्षेपित/ अधिक प्रक्षेपित करना सुविधाजनक हो सकता है।

1.4.2 निम्नलिखित तालिका 1.3 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान बजट प्राक्कलनों, संशोधित प्राक्कलनों तथा प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण दर्शाता है।

तालिका 1.3: वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान **(₹ करोड़ में)**

वि.व.	ब.अनु.	सं. अनु.	वास्तविक	वास्तविक माइनस ब.अनु.	वास्तविक माइनस सं. अनु.	ब.अनु. के प्रतिशत के रूप में अन्तर	सं. अनु. के प्रतिशत के रूप में अन्तर
2009-10	3,70,000	3,87,008	3,77,594	7,594	(-) 9,414	2.0	(-) 2.4
2010-11	4,30,000	4,46,000	4,45,995	15,995	(-) 5	3.7	*Zero*
2011-12	5,32,651	5,00,651	4,93,987	(-) 38,664	(-) 6,664	(-) 7.3	(-) 1.3
2012-13	5,70,257	5,65,835	5,58,989	(-) 11,268	(-) 6,846	(-) 2.0	(-) 1.2
2013-14	6,68,109	6,36,318	6,38,596	(-) 29,513	2,278	(-) 4.4	0.4

टिप्पणी: ब. अनु. और सं. अनु. आंकड़े संबंधित प्राप्ति बजट के अनुसार हैं और वास्तविक संबंधित वित्तीय लेखाओं के अनुसार हैं।

1.4.3 प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण वि. व. 2009-10 तथा वि. व. 2010-11 में बजट प्राक्कलनों से ज्यादा था जबकि यह वि.व. 2011-12 से वि.व. 2013-14 के दौरान बजट प्राक्कलनों से कम था। संशोधित प्राक्कलन सभी वर्षों में उचित पाये गए थे क्योंकि वास्तविक संग्रहण में परिवर्तन संशोधित प्राक्कलनों के (-) 2.4 *प्रतिशत* से 0.4 *प्रतिशत* के बीच रहा। वि.व. 2013-14 में प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण संशोधित प्राक्कलनों से ₹ 2,278 करोड़ (0.4 प्रतिशत) अधिक था।

1.5 प्रत्यक्ष करों में वृद्धि

1.5.1 निम्न तालिका 1.4 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान सकल कर प्राप्तियों[5] (जीटीआर) और सकल घरेलू उत्पादों (जीडीपी) के संदर्भ में प्रत्यक्ष करों (डीटी) की संबंधित वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.4: प्रत्यक्ष करो में वृद्धि (₹ करोड़ में)

वि.व.	डीटी	जीटीआर	जीटीआर के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर
2009-10	3,77,594	6,24,527	60.5	64,77,827	5.8
2010-11	4,45,995	7,93,307	56.2	77,95,314	5.7
2011-12	4,93,987	8,89,118	55.6	90,09,722	5.5
2012-13	5,58,989	10,36,460	53.9	1,01,13,281	5.5
2013-14	6,38,596	11,38,996	56.1	1,13,55,073	5.6

स्त्रोत: प्र. क. और जीटीआर - संघ वित्त लेखे, जीडीपी - प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रेस नोट, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ), सांख्यिकी मंत्रालय। 30 मई 2014 के प्रेस नोट से पता चलता है कि वर्ष 2011-12 के लिए मौजूदा कीमतों/बाजार कीमतों पर जीडीपी के लिए आंकड़े दूसरे संशोधित अनुमान हैं और वर्ष 2012-13 के लिए पहला संशोधित अनुमान और 2013-14 वर्ष के लिए अस्थायी अनुमान हैं। आंकड़े आधार वर्ष 2004-05 के मौजूदा बाजार कीमतों पर आधारित हैं। आंकड़ें सीएसओ द्वारा निरन्तर संशोधित किये जा रहे है। ये आँकड़े वृहद आर्थिक निष्पादन के साथ राजकोषीय निष्पादन की संकेतिय तुलना के लिए है।

1.5.2 हमने पाया कि वि.व. 2012-13 की तुलना में वि.व. 2013-14 में प्रत्यक्ष कर ₹ 79,607 करोड़ (14.2 प्रतिशत) तक बढ़ गया था। हालांकि, जीटीआर में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी में वि.व. 2012-13 में 53.9 प्रतिशत से वि.व. 2013-14 में 56.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में भी प्रत्यक्ष कर में उसी अवधि के दौरान मामूली वृद्धि हुई।

1.5.3 निम्न तालिका 1.5 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान प्रत्यक्ष करों और अपने प्रमुख संघटकों जैसे निगम कर (सीटी) और आयकर (आईटी) में वृद्धि को निरपवाद रूप से दर्शाती है।

5 इसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित है।

तालिका 1.5: प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और इसके मुख्य संघटको की वृद्धि						(₹ करोड़ में)
वि.व.	प्रत्यक्ष कर	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	सीटी	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	आईटी	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
2009-10	3,77,594	13.1	2,44,725	14.7	1,22,417	15.4
2010-11	4,45,995	18.1	2,98,688	22.1	1,39,102	13.6
2011-12	4,93,987	10.8	3,22,816	8.1	1,64,525	18.3
2012-13	5,58,989	13.2	3,56,326	10.4	1,96,843	19.6
2013-14	6,38,596	14.2	3,94,678	10.8	2,37,870	20.8

1.5.4 हमने पाया कि वि.व. 2012-13 की तुलना में वि.व. 2013-14 में सीटी में ₹ 38,356 करोड़ (10.76 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी जबकि आईटी में उसी अवधि के दौरान ₹ 41,027 करोड़ (20.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। हालांकि, सीटी और आईटी की औसत वृद्धि दर वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान क्रमश: 15.3 प्रतिशत और 23.6 प्रतिशत थी।

1.5.5 निगम तथा आयकर दोनो के संबंध में प्रत्यक्ष कर संग्रहण के विभिन्न तरीके {स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, नियमित निर्धारण कर} है। अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर तथा टीडीएस के माध्यम से संग्रहण, मोटे तौर पर प्रणाली में स्वैच्छिक अनुपालन की डिग्री का सूचक है। नियमित निर्धारण विधि के माध्यम से किया गया कर संग्रहण निर्धारण पर होता है।

1.5.6 तालिका 1.6 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान निगम निर्धारितियों के संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.6: कॉरपोरेट निर्धारितियों का संग्रहण					(₹ करोड़ में)
वि.व.	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	नियमित निर्धारण कर	संग्रहण
2009-10	60,850	1,48,791	20,159	24,995	2,88,162
2010-11	68,313	1,84,263	23,056	41,916	3,55,266
2011-12	91,974	2,08,886	13,632	40,030	3,98,116
2012-13	74,481	2,32,467	18,731	53,874	4,20,147
2013-14	83,443	2,45,350	18,852	60,426	4,61,851

टिप्पणी: उपरोक्त आंकडे संबंधित वर्षों के दौरान प्र. सीसीए, सीबीडीटी से प्राप्त हुए थे। संग्रहण के आंकड़ो में अधिभार और उपकर सहित अन्य प्राप्तियाँ भी शामिल हैं।

1.5.7 टीडीएस संग्रहण और नियमित निर्धारण कर वि. व. 2012-13 में कुल कॉरपोरेट संग्रहण के क्रमश:17.7 *प्रतिशत* और 12.8 प्रतिशत से मामूली बढ़ कर वि.व. 2013-14 में 18.1 *प्रतिशत* और 13.1 *प्रतिशत* हो गया। तथापि, अग्रिम कर वि. व. 2012-13 में कुल कॉरपोरेट संग्रहण के 55.3 *प्रतिशत* से घट कर वि. व. 2013-14 में 53.1 *प्रतिशत* हो गया।

1.5.8 निम्न तालिका 1.7 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.7 गैर-कारपोरेट निर्धारितियों का संग्रहण **(₹ करोड़ में)**

वि.व.	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	नियमित निर्धारण कर	संग्रहण
2009-10	84,885	24,626	12,349	8,279	1,36,551
2010-11	1,00,356	28,275	13,831	9,922	1,58,632
2011-12	1,06,705	42,640	14,016	11,482	1,81,383
2012-13	1,36,173	43,327	20,739	8,544	2,16,785
2013-14	1,65,104	47,172	25,271	12,102	2,59,753

टिप्पणी: उपरोक्त आंकडे संबंधित वर्षों के दौरान प्र. सीसीए, सीबीडीटी से प्राप्त हुए थे। संग्रहण के आंकड़ो में अधिभार और उपकर सहित अन्य प्राप्तियाँ भी शामिल हैं।

1.5.9 टीडीएस संग्रहण और नियमित निर्धारण कर वि. व. 2012-13 में कुल गैर-कॉरपोरेट के संग्रहण के क्रमश: 62.8 *प्रतिशत* और 3.9 प्रतिशत से बढ़ कर वि.व. 2013-14 में 63.6 प्रतिशत ओर 4.7 *प्रतिशत* हो गया। तथापि, अग्रिम कर वि. व. 2012-13 में कुल गैर कॉरपोरेट संग्रहण के 20.0 *प्रतिशत* से घट कर वि. व. 2013-14 में 18.2 *प्रतिशत* हो गया।

1.5.10 नीचे चार्ट 1.1 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान कॉरपोरेट निर्धारितियों के संबंध में पूर्व निर्धारण और पश्च निर्धारण संग्रहण दर्शाता है।

चार्ट 1.1: कारपोरेट निर्धारितियों के लिए पूर्व एवं पश्च निर्धारण संग्रहण (प्रतिशत में)

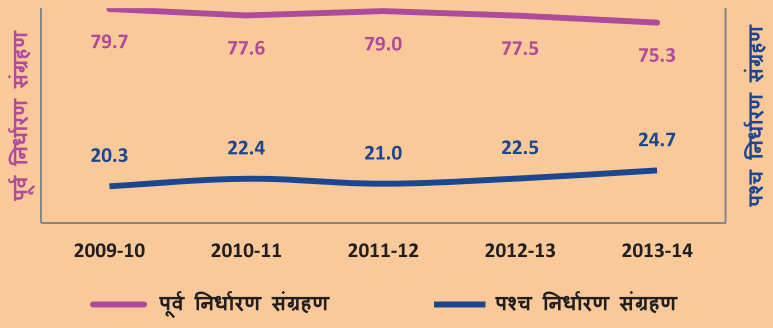

1.5.11 नीचे चार्ट 1.2 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के संबंध में निर्धारण और पश्च निर्धारण संग्रहण दर्शाता है।

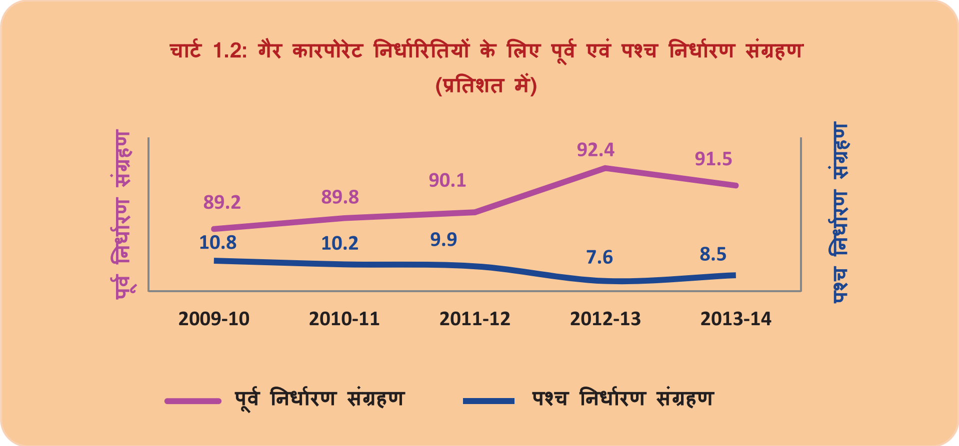

1.5.12 वि.व. 2009-10 से वि. व. 2013-14 के दौरान कॉरपोरेट निर्धारिती के संबंध में स्वैच्छिक अनुपालन में 4.4 *प्रतिशत* की कमी आई। तथापि, इसी अवधि के दौरान गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के संबंध में 2.3 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

1.6 छोड़ा गया राजस्व

1.6.1 किसी कर प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्ययों की निधिपूर्ति हेतु आवश्यक राजस्वों को बढ़ाना हैं। बढ़ी हुई राजस्व की राशि काफी हद तक कर आधार और कर दरों से निर्धारित की जाती है। उपायों की श्रेणियां-विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियाँ, कमी, स्थगन और क्रेडिट, जो कर के स्तर और आबंटन को प्रभावित करते हैं, भी इसका एक कार्य है। इन उपायों को "कर अधिमान" (छोड़ा गया राजस्व) कहा जाता है।

1.6.2 अन्य बातों के साथ-साथ आय कर अधिनियम, व्यक्तियों द्वारा बचत को प्रोत्साहित करने के लिए कर अधिमानों, निर्यातों, संतुलित क्षेत्रीय विकास; संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन; वैज्ञानिक शोध और विकास; सहकारी क्षेत्र और पूंजी निवेश हेतु त्वरित मूल्यह्रास का प्रावधान करता है। इनमें से अधिकतर कर लाभों को कारपोरेट और गैर-कारपोरेट दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

1.6.3 वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003, केन्द्र सरकार से जनहित में अपने वित्तीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और, यथा सम्भव, वार्षिक वित्तीय विवरण को तैयार करने और अनुदानों की मांग में गोपनीयता को न्यूनतम करने को सुनिश्चित करने हेतु उचित उपायों की अपेक्षा करता हैं। 13वें वित्त आयोग ने भी छोड़े गए कर की गणना और इसके प्रकटन में अधिक पारदर्शी पद्धति अपनाने की सिफारिश की थी।

1.6.4 संघ प्राप्ति बजट कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट निर्धारितियों द्वारा केवल इलेक्ट्रोनिक रूप से फाइल की गई रिटर्न के आधार पर प्रमुख करों के संबंध में छोडे गये राजस्व के विवरण को दर्शाता है। नीचे तालिका 1.8 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान कर छूटों के कारण छोड़े गये राजस्व को दर्शाता है।

तालिका 1.8: छोड़ा गया राजस्व				**(₹ करोड़ में)**
वित्तीय विर्ष	**कुल छोड़ा गया कर**	**निम्नलिखित के प्रतिशत के रूप में छोड़ा गया राजस्व**		
		जीडीपी	**डीटी**	**जीटीआर**
2009-10	1,18,023	1.8	31.3	18.9
2010-11	94,738	1.2	21.2	11.9
2011-12	1,01,140	1.1	20.5	11.4
2012-13	1,02,256	1.0	18.3	9.9
2013-14	1,16,530	1.0	18.3	10.23

टिप्पणी: छोड़े गये राजस्व के आकड़े प्राप्ति बजट के अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए छोड़े गए राजस्व के ऑकड़े प्रक्षेपित है और चेरीटेबल संस्था से संबंधित आंकड़े शामिल नहीं है। प्राप्ति बजट 2014-15 में पहली बार वि.व. 2013-14 के दौरान चेरीटेबल संस्थाओं द्वारा इलेक्ट्रोनिक रूप से फाइल किये गये रिटर्न (1,06,443) और चेरीटेबल उद्देश्य और धार्मिक कार्य के लिये इन संस्थाओं द्वारा लगाई गई कुल राशि (₹ 2,00,274 करोड़) को पृथक रूप से दर्शाया है।

1.6.5 वि.व. 2010-11 से कर छूट के कारण छोडा गया राजस्व मात्रा की दृष्टि से बढ़ रहे हैं। डीओआर में ऐसे छोडे गये राजस्व के प्रभावों के परिणामों की निगरानी के लिये कोई तंत्र नहीं है। राजस्व विभाग छोड़े गए राजस्व का अनुमान लगाने का कार्य हर वर्ष करता है, जिसे बजट में दिखाया जाता है। राजस्व विभाग के अनुसार विशेष सैक्टर/क्षेत्र पर ऐसे छोड़े गए राजस्व के प्रभाव के परिणामों की निगरानी, संबंधित मंत्रालयों द्वारा की जानी है और वे उद्देश्यों की प्राप्तियों पर नियमित फीडबेक नहीं दे रहे हैं। छोडे गये राजस्व की क्षमता और प्रभावकारिता की आवधिक रूप से जॉच/निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है।

1.7 कर आधार का विस्तारण और गहनता

1.7.1 विभाग के पास निर्धारिती आधार को बढ़ाने के लिए विभिन्न तंत्र मौजूद हैं, जिसमें सर्वेक्षण, दूसरे कर विभागों के साथ सूचना साझा करना और वार्षिक जानकारी विवरणियों में उपलब्ध तीसरे पक्ष की जानकारी शामिल है। स्वचलन ने भी क्रोस लिकिंग[6] को अधिक सरल बनाया है। इन तंत्रों में से अधिकतर निर्धारण अधिकारियों (एओ) के स्तर पर उपलब्ध हैं। आयकर के मुख्य आयुक्तों और महानिदेशकों के 29वें वार्षिक सम्मेलन (28-29 मई

6 ई-टीडीएस से टीडीएस विवरणियों के गैर दाखिलकर्ता, बड़े निगमों और गैर-कॉरपोरेट कटौतीकर्ता द्वारा जमा टीडीएस के वार्षिक तुलनात्मक आंकड़ों, उनके द्वारा बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु टीएएन डॉटा का मिलान करना, पैन डॉटा आधार के साथ कर विवरणियों का मिलान और कटौतीदाता की विवरणी के साथ टीडीएस कटौतियों पर कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवरणी के मिलान संबंधी जानकारी।

2013) में वित्त मंत्री ने अपने आधार व्याख्यान में मजबूत अथर्व्यवस्था बनाने में कर राजस्व की भूमिका पर बल दिया है। उन्होंने तकनीकी और सूचना आधारित कर संग्रहण के ऊपर बल दिया जिससे बेहतर परिणाम मिलेंगे और जो कर संग्रहण की सहज पद्धति प्रदान करेगी। उन्होंने कर कानून में स्थिरता और स्पष्टता, बड़े कर दाताओं और रिटर्न फाइल न करने वालों पर ध्यान देने और मुकदमेबाजी में बेहतर प्रदर्शन पर भी जोर दिया।

1.7.2 निम्नलिखित तालिका 1.9 विभिन्न श्रेणियों में गैर-कारपोरेट[7] निर्धारितियों के ब्यौरों को दर्शाती है।

तालिका 1.9: गैर-कारपोरेट निर्धारिती **(ऑकड़े लाख में)**

वि.व.	क[8]	$ख_1$[9]	$ख_2$[10]	ग[11]	घ[12]	कुल
2009-10	283.72	35.64	14.58	3.11	0.12	337.17
2010-11	271.29	38.36	17.78	4.49	0.12	332.04
2011-12	267.68	60.26	21.23	6.57	1.87	357.61
2012-13	276.13	58.21	23.94	6.59	3.00	367.87
2013-14	117.23	135.79	34.24	16.72	0.05	304.03

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (संभार तन्त्र), शोध एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

1.7.3 नॉन कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या वि.व. 2012-13 में 367.87 लाख से घट कर वि.व. 2013-14 में 304.03 लाख हो गई, इसमें 17.4 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। श्रेणी 'क' और 'घ' में नॉन-कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या कम हुई जबकि उसी अवधि में श्रेणी 'ख' और 'ग' में यह बढ़ी।

1.7.4 निम्नलिखित तालिका 1.10 विभिन्न श्रेणियों में कॉरपोरेट निर्धारितियों के ब्यौरों को दर्शाती है।

---

7 स्रोत: महानिदेशालय आयकर (विधि एवं शोध), शोध एवं सांख्यिकी विंग

8 श्रेणी "क" निर्धारिती- ₹ दो लाख से नीचे आय/हानि का निर्धारण;

9 श्रेणी "ख1" निर्धारिती (कम आय समूह) - ₹ दो लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ पांच लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

10 श्रेणी "ख2" निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ पाँच लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ दस लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

11 श्रेणी "ग" निर्धारिती - ₹ 10 लाख और इससे अधिक की आय/ हानि के साथ निर्धारण;

12 श्रेणी "घ" निर्धारिती-तालाशी और जब्ती निर्धारण;

तालिका 1.10: कारपोरेट निर्धारिती								(ऑकड़े लाख में)
वि.व.	क[13]	$ख_1$[14]	$ख_2$[10]	ग[11]	घ[12]	कुल	₹ 25 लाख से अधिक आय वाले निर्धारिती	31 मार्च तक आरओसी के अनुसार कार्यरत कम्पनियां
2009-10	1.84	0.65	0.61	0.56	0.02	3.68	0.09	8.40
2010-11	1.69	0.76	0.67	0.62	0.02	3.76	0.22	7.20
2011-12	2.95	0.91	0.96	1.00	0.03	5.85	0.14	8.01
2012-13	3.05	0.97	0.83	1.02	0.03	5.90	0.14	8.84
2013-14	4.14	0.89	0.31	1.01	0.01	6.36	0.65	9.52

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (संभार तन्त्र), शोध एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

1.7.5 कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या 7.8 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये वि.व. 2012-13 में 5.90 लाख से बढ़कर वि.व. 2013-14 में 6.36 लाख हो गई। ₹ 25 लाख से अधिक आय वाले कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या में वि.व. 2012-13 में 0.14 लाख की तुलना में वि.व. 2013-14 में 0.65 लाख की काफी वृद्धि हुई। वि.व. 2012-13 में कॉरपोरेट निर्धारितियों (6.36 लाख) की संख्या कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी)[15] के पास दर्ज कार्य कर रही कंपनियों (8.84 लाख) की संख्या से अलग है। क्योंकि सभी कार्य कर रही कंपनियों (चाहे लाभ अर्जित करने वाली हो या हानि उठाने वाली हो) को अपनी आय का रिटर्न फाइल करना होता है, ऐसी कार्य कर रही 28 प्रतिशत कंपनियों ने वि.व. 2013-14 में अपनी आय का रिटर्न फाइल नहीं किया। आईटीडी को अन्तर का समाधान करना अपेक्षित है।

1.8 संवीक्षा निर्धारणों का निपटान

1.8.1 चार्ट 1.3 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान संवीक्षा निर्धारणों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

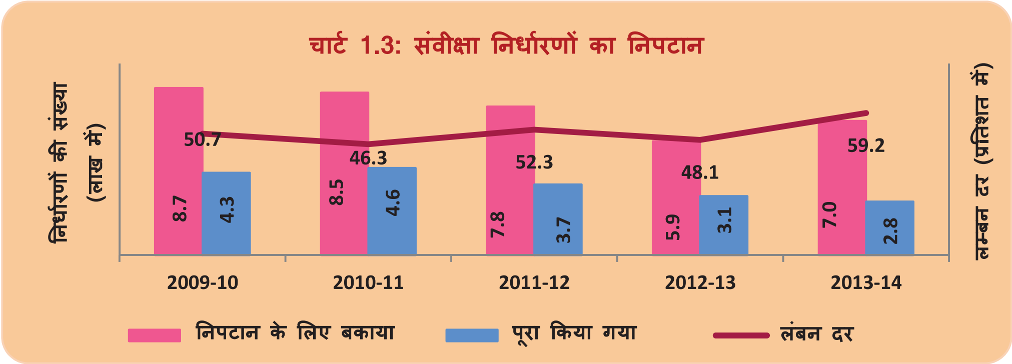

13 श्रेणी "क" निर्धारिती-₹ 50,000 से कम आय/हानि का निर्धारण;

14 श्रेणी "ख1" निर्धारिती (कम आय समूह)- ₹ 50,000 और अधिक परंतु ₹ पॉच लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

15 स्रोत: कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय (आरएंडए डिविजन)

1.8.2 संवीक्षा निर्धारण के मामलों का निपटान वि.व. 2012-13 में 3.1 लाख से घटकर वि.व. 2013-14 में 2.8 लाख हुआ जिसके परिणामस्वरूप लंबित मामलों में वृद्धि हुई।

1.9 प्रतिदाय दावों का निपटान

1.9.1 निम्न तालिका 1.11 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों के निपटान एवं लम्बन की प्रवृति को दर्शाती है।

तालिका 1.11: प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों का निपटान				(संख्या लाख में)
वि.व.	**निपटान हेतु बकाया प्रत्यक्ष प्रतिदाय**	**निपटान किए गए प्रत्यक्ष प्रतिदाय**	**लंबित प्रत्यक्ष प्रतिदाय**	**प्रतिशतता में लम्बन**
2009-10	48.0	28.6	19.4	40.4
2010-11	59.9	40.4	19.5	32.6
2011-12	52.8	40.3	12.5	23.7
2012-13	38.8	27.6	11.2	28.9
2013-14	34.5	25.7	8.8	25.5

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (संभार तंत्र), शोध एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

1.9.2 निपटान के लिये लंबित प्रत्यक्ष प्रतिदायों की संख्या वि.व. 2012-13 में 11.2 लाख से घटकर वि.व. 2013-14 में 9.1 लाख हुई। आईटीडी का सिटिजन चार्टर (जुलाई 2010) करदाताओं के लिये वचनबद्धता की घोषणा करता है कि ब्याज सहित प्रतिदय निर्धारित समयावधि[16] के अंदर जारी किया जायेगा। इसके बावजूद भी प्रतिदाय के मामले बहुत अधिक लंबित हैं।

1.9.3 सरकार ने ₹ 89,060 करोड़ वापस किये जिसमें वि.व. 2013-14 में ₹ 6,598 करोड़ (7.4 प्रतिशत ब्याज) शामिल है। वि.व. 2012-13 में प्रतिदाय पर दिया गया ब्याज ₹ 6,666 करोड़ (₹ 83,766 करोड़ का 8.0 प्रतिशत, वापस की गई राशि) था।

1.10 असंग्रहीत मांग

1.10.1 निम्नलिखित तालिका 1.12 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 की अवधि के दौरान लंबित असंग्रहीत मांग[17] की प्रवृति दर्शाती है।

16 छह महीने - ई-रिटर्न और नौ महीने - धारा 143(1) के अंतर्गत संसाधित अन्य रिटर्न; और धारा 143(1) के अलावा मूल्यांकित मामलों में एक महीने के अंदर।

17 स्रोत: संबंधित वर्ष के मार्च माह के लिये सीएपी-।

तालिका 1.12: अंसग्रहीत मांग की स्थिति				(₹ करोड़ में)
वि.व.	**पिछले वर्षो के लंबित संग्रहण की मांग**	**वर्तमान वर्ष की लंबित संग्रहण की मांग**	**कुल लंबित मांग**	**वसूली हेतु दुष्कर मांग (प्रतिशत में)**
2009-10	1,81,612	47,420	2,29,032	2,12,758 (92. 9)
2010-11	2,02,859	88,770	2,91,629	2,71,143 (93.0)
2011-12	2,65,040	1,43,378	4,08,418	3,87,614 (94.9)
2012-13	4,09,456	76,724	4,86,180	4,66,854 (96.0)
2013-14	4,80,065	95,274	5,75,340	4,32,285 (94.4)

स्रोत: मार्च 2014 माह के लिए विश्लेषण सहित सीएपीI मांग एवं संग्रहण विवरण।

1.10.2 बकाया मांग के संग्रहण और वसूली पर बल देने हेतु अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों अर्थात निर्धारितियों की चल एवं अचल सम्पतियों की कुर्की और बिक्री, निर्धारितियों की सम्पतियों के प्रबंधन के लिए प्राप्तिकर्ता की नियुक्ति और कारावास के बावजूद असंग्रहीत मांग बढ़ रही है। वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान वर्ष के अंत तक लंबित मांग 2.5 गुना से अधिक बढ़ी। आईटीडी ने दर्शाया कि कुल लंबित मांग में से 94 प्रतिशत से अधिक मांग वि.व. 2013-14 में वसूल की जानी मुश्किल है। मार्च 2014 के माह के लिये मांग और संकलन विवरण ने विभिन्न कारक जैसे वसूली के लिये अपर्याप्त संपत्ति, ऋण मुक्ति/बीआईएफआर के अंतर्गत मामले, निर्धारिती का पता न मिलना, विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा रोकी गई मांग आदि का जिनके परिणामस्वरूप मांग की वसूली मुश्किल हुई विश्लेषण किया है।

1.10.3 कर भुगतान में चूकों को कर वसूली अधिकारियों (टीआरओ) को भेजा जाता है जो निर्धारितियों से बकाया देय राशि की मात्रा को निर्धारित करते हुए प्रमाणपत्र तैयार करता है और राशि की वसूली को शुरू करने के लिए कार्यवाही करता है। वसूली तंत्र त्रुटिपूर्ण है क्योंकि संग्रहीत किए जाने से रह गई प्रमाणित मांग वि.व. 2012-13 में ₹ 1.5 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 2013-14 में ₹ 2.2 लाख करोड़ हो गई थी।

1.11 अपील मामलों के निपटान

1.11.1 निम्न तालिका 1.13 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील के मामलों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.13: सीआईटी (ए) द्वारा अपील मामलों का निपटान (₹ करोड़ में)

वि.व.	निपटान हेतु बकाया अपीलें	निपटाई गई अपीलें	लबित अपीलें	प्रतिशतता में लम्बन	अपीलों में अवरूद्ध राशि
	(संख्या लाख में)				
2009-10	2.61	0.80	1.81	69.4	2,20,148
2010-11	2.58	0.70	1.88	72.6	1,98,088
2011-12	3.06	0.76	2.30	75.3	2,42,182
2012-13	2.84	0.85	1.99	70.1	2,59,556
2013-14	3.03	0.88	2.15	71.0	2,87,444

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (संभार तंत्र), शोध एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

1.11.2 सीआईटी(ए) के पास लंबित अपील मामलों का निपटान पिछले कुछ वर्षों से स्थिर है जिसके परिणामस्वरूप लंबन में वृद्धि हुई। वि.व. 2013-14 में सीआईटी (अपील) के पास अपील मामलों में अवरोधित राशि भारत सरकार के संशोधित राजस्व घाटे के 77.6 प्रतिशत के बराबर है।

1.11.3 नीचे तालिका 1.14 31 मार्च 2014 को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों (आईटीएटी)/उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपीलों/ याचिकाओं और अन्य मामलों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.14: आईटीएटी/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपील/याचिकाऐं और अन्य मामले

प्राधिकरण जिसके पास लंबित है	लंबित मामले (संख्या में)	अवरोधित राशि (₹ करोड़ में)
आईटीएटी	35,266	1,43,255.8
उच्च न्यायालय	35,696	33,128.5
सर्वोच्च न्यायालय	5,960	3,202.1
कुल	76,922	1,79,586.4

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (संभार तंत्र), शोध एवं सांख्यिकी विंग नई दिल्ली

1.11.4 उच्चतर स्तरों (आईटीएटी/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय) पर अपीलों में अवरूद्ध राशि 31 मार्च 2013 को (69,714 मामलों) में ₹ 1.5 लाख करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2014 को (76,922 मामलों) में ₹ 1.8 लाख करोड़ थी।

1.12 अभियोजन की प्रास्थिति

1.12.1 निम्न तालिका 1.15, वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 तक शुरू किए गए अभियोजनों की प्रास्थिति, निर्णित मामलों अर्थात अभिशंसित, संयोजित और विमुक्त को दर्शाती है।

तालिका 1.15: अभियोजन मामलों की प्रास्थिति					(संख्या)
वित्तीय वर्ष	**शुरू किए गए अभियोजन**	**निर्णित मामलें**	**अभिशंसित**	**संयोजित**	**विमुक्त (प्रतिशत में)**
2009-10	312	599	32	291	276 (46.1)
2010-11	244	356	51	83	222 (62.4)
2011-12	209	593	14	397	182 (30.7)
2012-13	283	265	10	205	50 (18.9)
2013-14	641	664	41	561	62 (9.3)

स्रोत: जाँच विंग, सीबीडीटी

1.12.2 उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अभियोजन मामलों में विमुक्तियाँ वि.व. 2009-10 में 46.1 प्रतिशत से तीव्र गिरावट के साथ वि.व. 2013-14 में 9.3 प्रतिशत हो गई, इसके अलावा, 31 मार्च 2014 तक बकाया अभियोजन मामलों की कुल संख्या 3,775 थी।

1.13 सीबीडीटी के परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज

1.13.1 'निष्पादन निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली' के अंतर्गत प्रत्येक केंद्रीय सरकार/विभाग को परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) तैयार करना अपेक्षित है। तदनुसार, सीबीडीटी अपना आरएफडी तैयार कर रहा है। वि.व 2013-14 के लिये अपने आरएफडी में सीबीडीटी ने करदाता सेवाओं के सकेंद्रित प्रभावी और अर्थपूर्ण कार्यान्वयन के लिये अपनी वचनबद्धता को दोहराया जो स्वैच्छिक अनुपालन को भी सुविधाजनक बनायेगा। उसने करदाताओं से बेहतर संवाद, करदाताओं के लिये आईटी समर्थ सेवाओं को मजबूत करने और करदाता सेवाओं के लिये आईटीडी में मानव संसाधन के बेहतर प्रबंधन और विकास जैसे उद्देश्य निर्धारित किये है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से निर्धारित समयावधि के अंदर मूर्त और रिकार्ड करने योग्य प्रगति सुनिश्चित करने के लिये विशेष लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।

1.14 आयकर विभाग की आईटी पहलें

1.14.1 प्रभावी योजना सहित कर आधार को भी विस्तारित करने के प्रति कर प्रशासन की दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार और प्रबंधन को विश्वसनीय और समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के मद्देनजर आयकर विभाग ने

समय-समय पर कई आईसीटी एप्लीकेशन शुरू की। एएसटी प्रणाली में संवीक्षा आदेशों की अपलोडिंग के प्रति आईटीडी की पहल को अनिवार्य कर दिया गया। वि.व. 2011-12 से सभी एओ को केवल एएसटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से संवीक्षा मूल्यांकन के आदेश पास करना आवश्यक था। आईटीडी ने कर्नाटक और गोवा के पेपर रिटर्न और पूर्ण भारत के ई-फाइल किये गये रिटर्नो को संसाधित करने के लिये बैंगलुरू में केन्द्रीय संसाधन केन्द्र (सीपीसी) स्थापित किया।

1.14.2 आईटीडी ने आयकर कारोबार अनुप्रयोग (आईटीबीए) नाम वाली एक अलग परियोजना शुरू की है जिससे इसने वर्तमान आईटीडी एप्लीकेशन को नई संरचना और रूपरेखा में पुन: तैयार करने की योजना बनाई। यह परियोजना प्रत्यात्मक स्तर पर है और अप्रैल 2015 तक पूरी होने की संभावना है। आईटीडी ने करदाता का प्रोफाइल तैयार करने के लिये डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर के रूप में एकीकृत करदाता डेटा प्रबंधन प्रणाली (आईटीडीएमएस) भी तैयार की। यह उपभोक्ता को डेटा की उच्च मात्रा और अधिक लिंकेज के साथ करदाताओं का पूरा प्रोफाइल तैयार करने में सक्षम बनाता है। उन्नत संस्करण डेटा की उच्च मात्रा संभालता और बेहतर संपर्क बनाता है।

1.15 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

1.15.1 आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह आश्वासन प्रदान करता है कि अधिनियम के प्रावधानों के सही कार्यान्वयन द्वारा मांग/प्रतिदाय सही ढंग से संसोधित किए जा रहे हैं। जून 2007 से मूल्यांकन कार्यों को सीआईटी (लेखापरीक्षा) की अध्यक्षता में आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य से अलग कर दिया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग की कार्य क्षमता के आधार पर 2,60,650 मामले[18] वि.व. 2013-14 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित किये जाने थे। इसमें से 1,66,759 मामले निपटाये गये, इस प्रकार 63.98 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त हुआ।

1.15.2 तालिका 1.16 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 तक प्रत्येक पॉच वर्षों के लिए उठाई गई, निपटाई गई और लम्बित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण दर्शाती है:

---

18 आंकड़े 2007 के परिपत्र संख्या 3 के आधार पर निकाले गये है।

तालिका 1.16: जोड़े गए, निपटान किए गए और लंबित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण						(₹ करोड़ में)
वि.व.	वर्ष के दौरान जमा		वर्ष के दौरान निपटान किए गए		वर्ष के दौरान लम्बन	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2009-10	14,577	1,224.81	6,434	657.58	29,442	3,971.4
2010-11	13,494	5,466.88	7,996	921.85	34,940	8,516.4
2011-12	13,771	1,879.85	14,148	1,118.49	34,563	9,277.8
2012-13	18,275	4,135.48	16,626	2,736.12	36,212	10,677.1
2013-14	14,423	8,950.66	26,322	8,610.12	24,313	11,017.7

स्रोत: निदेशालय आयकर (आयकर एवं लेखापरीक्षा), नई दिल्ली

1.15.3 आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों का लंबन 2009-10 से 2012-13 के दौरान बढ़ा। तथापि, यह वि.व. 2012-13 की तुलना में वि.व. 2013-14 के दौरान 32.8 प्रतिशत कम हुआ है। वि.व. 2013-14 में एओ ने आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुख्य निष्कर्ष[19] के ₹ 19,487.9 करोड़ के कर प्रभाव वाले 13,742 मामलों में से ₹ 8,541.4 करोड़ (43.8 प्रतिशत) के कर प्रभाव वाले 5,446 मामलों (39.6 प्रतिशत) में कार्यवाही की।

19 आय कर में ₹ दो लाख से अधिक और अन्य करों में ₹ 30,000 से अधिक की लेखापरीक्षा आपत्ति